

देश में 'इलोपब' (एलीफेंटियासिस) रोग का फैलना

6659. श्री जगेश्वर यादव : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रों यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इलोपब रोग के फैलने के क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्ति इस रोग के शिकार हुए; और

(ख) क्या सरकार ने इस रोग की घटनाओं रोकने के लिये कोई विशेष प्रबन्ध किये हैं तथा देश में उन अस्पतालों के क्या नाम हैं तथा वे कहाँ पर स्थित हैं जहाँ इस रोग के उपचार के लिये विशेष प्रबन्ध किये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० भूति)

(क) फाइलेरिया जिसे सामान्यतः पीलपांव (एलिफेण्टियासिस) कहते हैं वैक्टर मच्छरों (क्यूलेक्स फ्रैटिगन्ज / मेन्सीनियोडोज प्रजाति) द्वारा मनुष्य से मनुष्य तक फाइलेरिया कीटाणुओं (माइक्रोफाइलेरिया) को ले जाकर फैलाया जाता है। यह रोग तीन चोखों के बीच होने वाली अन्तः क्रिया के परिणाम स्वरूप फैलता है, वे हैं एजेण्ट अर्थात् फाइलेरिया के कीड़े फाइलेरिया जीवाणु, परदोषी अर्थात् मनुष्य और आस पास का वातावरण-प्राकृतिक वातावरण यानि गरम। आर्द्र जलवायु, जैविक वातावरण जो मच्छरों की वेक्टर प्रजाति की उत्पत्ति को बढ़ाता है और सामाजिक वातावरण यानी लोगों का इधर उधर स्थान बदलना, नगरीकरण, औद्योगिकरण और समाजार्थिक अवस्थायें।

गत तीन वर्षों में इस रोग से पीड़ित हुए व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा

रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) फाइलेरिया के फैलाव की रोक थाम के लिये केन्द्रीय सरकार 1955 से राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है। कार्यक्रम के अन्तर्गत इस रोग के फैलाव वाले विभिन्न राज्यों में स्थित 67 नगरों एवं कस्बों में तैलका लार्वानाशी के रूप में उपयोग करते हुये बार बार लार्वारोधी उपायों द्वारा इन रोगवाहक मच्छरों को नियन्त्रित किया जा रहा है।

उन अस्पतालों के नामों जहाँ इस रोग के उपचार के विशेष प्रबन्ध मौजूद हैं, और वे स्थान जहाँ ये अस्पताल स्थित हैं, के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी

Central Assistance for Floods in Nasik, Jalgaon and Ahmednagar Districts (Maharashtra)

6660. SHRI Z. M. KAHANDOLE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 9th September, 1969, due to floods in the Nasik, Jalgaon and Ahmednagar districts of Maharashtra, there was destruction of property on a large scale ;

(b) whether a delegation was sent to these areas by the Central Government to assess the loss ;

(c) what are the findings of the delegation ; and the action taken by Government thereon ;

(d) whether the flood-affected people are still to be resettled ; and

(e) the amount of assistance given by Government to the Government of Maharashtra for the relief work in connection with the floods of the 9th September, 1969 ?

THE MINISTER OF SUPPLY AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. K. KHADILKAR): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The Central Team has, for purposes of Central assistance, recommended the following ceilings of expenditure on various relief, rehabilitation and repair measures necessitated on account of the floods :

(Rs. in crores)

(i) Relief measures (including gratuitous relief, public health and cattle health measures and housing grants) ;	1.42
(ii) Loans for house building, agricultural taccavi and for shifting of villages ;	3.58
(iii) Repairs of roads and irrigation works.	0.50
	5.50

These ceilings have been accepted by Government.

(d) According to information received from the State Government, relief measures are in progress.

(c) No financial assistance to the State Government has been given so far. Assistance will be released in the light of the progress of expenditure to be reported by the State Government from time to time.

पूर्व निमाड़ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सरकारी आवास स्थान अलाट करना

6661. श्री गं० च० बीक्षित : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के पूर्व निमाड़ जिले में ऐसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक सरकारी आवास स्थान अलाट नहीं किये गये हैं; और

(ख) एक कर्मचारी को सरकारी आवास स्थान के आवंटन के लिये कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० धूलि): (क) और (ख). मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ जिले में कोई सामान्य पूल बास नहीं है अतः सम्पदा निदेशालय में पूर्वी निमाड़ जिले के, उन सरकारी कर्मचारियों के संबंध में, जिन्हें अभी सरकारी क्वार्टर नहीं आवंटित किये गये हैं, ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सरकार की नीति केवल उन स्थानों पर सामान्य पूल बासों का निर्माण करने की है, जहाँ केन्द्रीय सरकारी कार्यालय अधिक संख्या में हैं, बशर्ते कि साधन उपलब्ध हों। फिलहाल पूर्वी निमाड़ जिले में सामान्य पूल रिहायशी बास के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएँ

6662. श्री गं० च० बीक्षित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के अनेक कस्बों और नगरों में इस समय बैंकों की शाखाएँ नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कस्बों/नगरों के नाम क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) उक्त कस्बों/नगरों में बैंक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा उनमें से कितने कस्बों/नगरों में वर्ष 1970-71 में से सुविधायें उपलब्ध किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) और (ख). मध्य प्रदेश में अब तक 123 केन्द्रों को बैंक रहित नगर